भाषा जोड़ती है तोड़ती नहीं

हिंदी विवेक
WE WORK FOR A BETTER WORLD
Issue : 13 -19 September 2026

टीजेएस्बी सहकारी बैंक लिमिटेड. मल्टी-स्टेट शेड्यूल्ड बैंक

Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank

विघ्नहर्ता का हर्षोल्लास से स्वागत करें,
सुख-समृद्धि एवं सफलता का
आशीर्वाद पाएं।

गणेशोत्सव की
हार्दिक शुभकामनाएँ!

टीजेएस्बी वाहन ऋण

ब्याज दर
७.८०%* प्रति वर्ष | जल्द मंजूरी

• न्यूनतम दस्तावेज़ • आसन प्रोसेस

*नियम व शर्तें लागू

www.tjsb.bank.in | ✆ : 022-48897203

अनुक्रमणिका

भाषाओं के सम्मान के साथ हिंदी की स्थापना	डॉ. अर्पण जैन 'अविचल'	04
शिक्षा व्यवस्था में हिंदी का संकट	डॉ. ताड़केश्वर नाथ मिश्र	06
तेरी जय हो गणेश...	पूनम नेगी	09
संग हमेशा साजन हो...	परिणीता सिन्हा 'स्वयंसिद्धा'	11
सृजन व कौशल का उत्सव	अपर्णा झा	13
आवश्यक है पारदर्शिता	सचिन तिवारी	16
उफ! ये महंगाई...	सतीश सिंह	18
क्रांतिकारी गतिविधि व उत्तरदायित्व का प्रश्न	अर्जुन आनंद	20
स्वरा भास्कर की फिसलती जुबान	योगेश कुमार गोयल	22
52 मंदिरों में स्मार्ट फोन पर प्रतिबंध लागू	वेदप्रकाश पांडे	24
गीतों में गूढ़ ज्ञान से मिल रहा सम्मान	विष्णु शर्मा	26
संस्कृति और ज्ञान का नया संगम	संकलन	28
इधर भी देखें...	संकलन	29

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

पंजीयन शुल्क

वार्षिक मूल्य : 500 रुपये, त्रैवार्षिक मूल्य : 1200 रुपये
पंचवार्षिक मूल्य : 1800 रुपये, आजीवन मूल्य : 25,000 रुपये

कार्यालय : प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067 फोन नं. : 022-28675299, 022-28678933

भाषाओं के सम्मान के साथ हिंदी की स्थापना

डॉ. अर्पण जैन 'अविचल'

हिंदी भाषा को लेकर राष्ट्र के कई प्रांतों में एक नई बहस छिड़ गई है। प्रांतीय भाषा सीखना व जानना स्वागतयोग्य है, लेकिन वो कहीं भी हिंदी पर हावी न हो, यह आवश्यक भी हो जाता है।

भारत देश विविधता में एकता का देश है, इस राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है। यह विविधता केवल खान-पान, वेशभूषा, लोक परम्पराओं और धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की भाषाई विविधता भी उसकी पहचान है। देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं और प्रत्येक भाषा अपने भीतर हजारों वर्षों की स्मृतियां, साहित्य, लोकजीवन और सांस्कृतिक अनुभव समेटे हुए है। इसलिए भारत में भाषा का प्रश्न केवल संवाद का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, अस्मिता, संस्कृति और सामाजिक सम्मान से भी जुड़ा हुआ है।

भारत में संवैधानिक रूप से आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, परंतु इसके अतिरिक्त 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 प्रमुख भाषाएं हैं, जिन्हें 10,000 या उससे अधिक लोग बोलते हैं। और देश में 19,500 से अधिक मातृभाषाएं या बोलियां भी बोली जाती हैं। इन सबसे मिलकर भारत का सांस्कृतिक वैभव सम्पन्न दिखाई देता है। हिंदी या अन्य बोली-भाषाओं के बीच भी रहने से भारत आंतरिक रूप से अखंड नहीं रह पाता और समय-समय पर भाषाई विवाद देश में जन्म लेते रहते हैं।

इसीलिए भाषा को लेकर होने वाली बहस में दो बातों को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करने के बजाय उनके बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। हिंदी का व्यापक ज्ञान भारत के लिए उपयोगी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि किसी प्रांत की स्थानीय भाषा को समाप्त किया जाए। इसी प्रकार किसी राज्य की प्रांतीय भाषा का सम्मान आवश्यक है, लेकिन उसे देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले नागरिकों पर अनिवार्य रूप से थोपना भी उचित नहीं है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत में ऐसी भाषा-दृष्टि विकसित हो, जिसमें नागरिक अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व रखें, हिंदी को देशव्यापी संपर्क और संवाद की महत्त्वपूर्ण भाषा के रूप में सीखें तथा आवश्यकता और रुचि के अनुसार अन्य भारतीय भाषाओं का भी अध्ययन करें। भाषा प्रेम स्वाभाविक हो, भाषा का दबाव नहीं। भाषा तभी फलती-फूलती है जब उसके प्रति प्रेम पैदा किया जाए।

हस्ताक्षर बदलो अभियान और भारत

भारत में एक अभियान यह भी चल रहा है जिसमें अपने हस्ताक्षर अन्य भाषा से हिंदी भाषा में अथवा भारतीय भाषा में करने का आग्रह है। इस अभियान का उद्देश्य है कि भारतीयों में अंग्रेजी को अपने जीवन के परिचय से कम कर अपनी निज भाषा के अभिमान में वृद्धि की जाएं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान ने इस अभियान के माध्यम से अब तक 40 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर अन्य भाषा से हिंदी में बदलवा दिए है। व्यक्ति अपने हस्ताक्षर जब निज भाषा में करता है तो उसका भाषाई प्रेम भी प्रदर्शित होता है।

किसी बच्चे को उसकी भाषा से प्रेम कराया जा सकता है, लेकिन केवल आदेश देकर भाषा के प्रति आत्मीयता पैदा नहीं की जा सकती। हिंदी के विस्तार के लिए भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए।

यदि हम चाहते हैं कि दक्षिण भारत का नागरिक हिंदी सीखे, तो हमें हिंदी को रोजगार, व्यापार, तकनीक, पर्यटन, साहित्य, सिनेमा और सांस्कृतिक संवाद से जोड़ना होगा। यदि हिंदी सीखने से किसी विद्यार्थी को अधिक अवसर मिलते हैं, किसी व्यापारी को नए बाजार मिलते हैं, किसी पत्रकार को व्यापक पाठक मिलते हैं या किसी युवा को दूसरे राज्यों में रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो हिंदी अपने आप आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसके विपरीत यदि हिंदी को केवल प्रशासनिक आदेश या राजनीतिक आग्रह के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो उससे स्वाभाविक भाषा-स्वीकार्यता के बजाय प्रतिरोध पैदा हो सकता है। इसलिए हिंदी के विस्तार का सबसे प्रभावी मार्ग प्रेम, उपयोगिता और अवसर है।

कर्नाटक भाषा के प्रश्न पर विशेष संवेदनशील राज्य रहा है। यहां देश के दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए आते हैं। कर्नाटक में आने वाला व्यक्ति कन्नड़ भाषा और संस्कृति का सम्मान करे। यदि कोई व्यक्ति लम्बे समय तक वहां रहता है और कन्नड़ सीखना चाहता है तो यह उसके लिए स्थानीय समाज से जुड़ने का सुंदर माध्यम हो सकता है। दूसरी ओर यह भी विचारणीय है कि क्या किसी दूसरे राज्य से आए व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कन्नड़ को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? यहीं से स्वैच्छिक भाषा-शिक्षण और अनिवार्य भाषा-व्यवस्था के बीच अंतर महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

यही हाल महाराष्ट्र का भी है, मराठी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। यहां महाराष्ट्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत और देश के अन्य हिस्सों से आए लोग लम्बे समय से रहते और काम करते रहे हैं। मुम्बई में काम करने वाले लोग अन्य भाषा-भाषी प्रांत से भी है, और मुम्बई की आर्थिक रीढ़ बॉलीवुड और फिल्म उद्योग पर टिकी हुई है। उसमें काम करने वाले लोग अन्य राज्यों से भी है और यहां तक कि मुम्बई में बनने वाली फिल्में देश के अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी देखी जाती हैं और वहीं से उन्हें पैसा भी मिलता है। ऐसे में यदि अन्य राज्यों ने मुम्बई में निर्मित फ़िल्मों को अपने प्रदेश में दिखाने पर रोक लगा दी तो क्या वे हिंदी फिल्में जिंदा रहेंगी? ऐसे में कुछ राजनैतिक लोगों के कारण केवल बैर ही बढ़ेगा।

मुम्बई का चरित्र ही बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक रहा है। ऐसी स्थिति में मराठी का सम्मान करना आवश्यक है। महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति को स्थानीय भाषा और संस्कृति से परिचित होना चाहिए। यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता है।

लेकिन दूसरी ओर मुम्बई में आने वाले हर व्यक्ति के लिए यह अपेक्षा कि वह तत्काल और हर परिस्थिति में मराठी को अनिवार्य रूप से अपनाए, व्यावहारिक और संवैधानिक दृष्टि से व्यापक बहस का विषय बन जाता है। भारत सरकार को राज्यों के इस तरह भाषाई उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए और एक भाषा के सूत्र के साथ प्रांतों की भाषाई राजनीति को समाप्त कर सद्भाव बढ़ाना चाहिए।

■■■

शिक्षक को विद्यार्थियों के सामने हिंदी बोलने को हीनता का विषय नहीं बनने देना चाहिए। यदि कक्षा में हिंदी का प्रयोग केवल कमजोर विद्यार्थियों से जोड़ दिया जाएगा तो बच्चों में उसके प्रति नकारात्मक धारणा विकसित होगी।

विश्व हिंदी दिवस- 14 सितम्बर

शिक्षा व्यवस्था में हिंदी का संकट

भाषा केवल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति की संस्कृति, परम्परा, सामाजिक स्मृति और पहचान से भी गहराई से जुड़ी होती है। किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसकी भाषा में निहित होती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवेश, परिवार और समाज को सबसे सहज रूप से समझता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषाओं का महत्व और भी अधिक है। हिंदी भारत में व्यापक रूप से समझी और बोली जाने वाली भाषाओं में प्रमुख स्थान रखती है। इसके बावजूद वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के सामने अनेक चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। विशेष रूप से निजी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के बढ़ते प्रभाव ने भाषा को लेकर बच्चों, अभिभावकों और समाज की सोच में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। अंग्रेजी, ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का पर्याय बनती जा रही है, जबकि हिंदी को कई बार पिछड़ेपन अथवा कम अवसरों से जोड़कर देखा जाने लगा है।

भारत में शिक्षा व्यवस्था ने समय के साथ अनेक परिवर्तन देखे हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी को प्रशासन, उच्च शिक्षा और रोजगार की भाषा के रूप में स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाओं को शिक्षा में उचित स्थान देने के प्रयास हुए, लेकिन अंग्रेजी का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव लगातार बना रहा। उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद अंग्रेजी के प्रति आकर्षण और अधिक बढ़ा। सूचना प्रौद्योगिकी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, उच्च शिक्षा तथा वैश्विक रोजगार के अवसरों ने अंग्रेजी को उपयोगी और आवश्यक भाषा के रूप में स्थापित किया। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि अंग्रेजी सीखने से विद्यार्थियों को वैश्विक ज्ञान और संचार के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया हिंदी के प्रति हीन भावना पैदा करने लगे।

डॉ. ताड़केश्वर नाथ मिश्र

आज अनेक निजी विद्यालयों में अंग्रेजी बोलने पर विशेष जोर दिया जाता है। अंग्रेजी बोलना विद्यार्थियों की योग्यता, आधुनिकता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ दिया जाता है। कई विद्यालयों में विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में हिंदी बोलने से हतोत्साहित किया जाता है। परिणामस्वरूप कुछ बच्चे अपने मित्रों अथवा शिक्षकों के सामने हिंदी बोलने में संकोच करने लगते हैं। वे अंग्रेजी के कुछ शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करके स्वयं को अधिक आधुनिक दिखाने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब बच्चा हिंदी भाषा में विचार व्यक्त करने को लेकर असहज अनुभव करने लगे। भाषा सीखना समस्या नहीं है, समस्या तब है जब एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा के प्रति उपेक्षा या शर्म का कारण बन जाए।

प्रारम्भिक अवस्था में बच्चा जिस भाषा में सोचता और अपने अनुभवों को समझता है, उसी भाषा में जटिल अवधारणाओं को ग्रहण करना उसके लिए अपेक्षाकृत सरल होता है। यदि शिक्षा की भाषा बच्चे के घरेलू और सामाजिक वातावरण से पूरी तरह अलग हो, तो उसे विषय-वस्तु के साथ-साथ भाषा को समझने का अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। इससे कई बार सीखने की गति और अभिव्यक्ति दोनों प्रभावित होती हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में

यदि विद्यार्थियों को हिंदी के साथ अंग्रेजी का संतुलित ज्ञान दिया जाए तो वे दोनों भाषाओं में दक्ष हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता हिंदी और अंग्रेजी में संघर्ष पैदा करने की नहीं, बल्कि दोनों भाषाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की है।

यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अंग्रेजी का विरोध करना समाधान नहीं है। आज के वैश्विक परिवेश में अंग्रेजी का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय संचार के अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विद्यार्थियों को अंग्रेजी से दूर रखना उचित नहीं होगा। वास्तविक आवश्यकता यह है कि अंग्रेजी सीखने के साथ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान भी बनाए रखा जाए। बहुभाषिकता को कमजोरी नहीं, बल्कि क्षमता के रूप में स्वीकार करना होगा। एक विद्यार्थी अंग्रेजी में दक्ष होने के साथ-साथ हिंदी में भी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कर सकता है।

हिंदी के सामने एक अन्य चुनौती यह है कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की पर्याप्त सामग्री हिंदी में उपलब्ध होने के बावजूद विद्यार्थियों और शिक्षकों में उसके उपयोग की प्रवृत्ति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व अभी भी काफी अधिक है। यदि हिंदी को ज्ञान-विज्ञान, अनुसंधान और रोजगार की भाषा के रूप में मजबूत करना है तो गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों, शोध सामग्री, डिजिटल संसाधनों और तकनीकी शब्दावली का निरंतर विकास आवश्यक है। केवल हिंदी दिवस अथवा हिंदी पखवाड़े के आयोजन से हिंदी भाषा का विकास सम्भव नहीं है। हिंदी को दैनिक शैक्षणिक और बौद्धिक गतिविधियों का स्वाभाविक हिस्सा बनाना होगा।

अभिभावकों की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बच्चे के भविष्य में अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। उनकी आकांक्षा स्वाभाविक है और इसे गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंग्रेजी माध्यम का चयन करते समय हिंदी और मातृभाषा को घर से बाहर कर देना उचित नहीं है। परिवार बच्चों के साथ हिन्दी में बातचीत, कहानी, कविता, लोकगीत और साहित्य के माध्यम से उनकी भाषायी क्षमता को मजबूत कर सकता है। यदि घर और विद्यालय दोनों मिलकर बच्चे में भाषायी आत्मविश्वास विकसित करें तो वह एक से अधिक भाषाओं में बेहतर दक्षता प्राप्त कर सकता है।

■■■

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली
सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका
हिंदी विवेक
We Work For Better World
पंजीयन करें
सेवा विवेक ग्रंथ
मौलिक एवं संग्रहणीय ग्रंथ, स्वयं एवं परिजनों के लिए पंजीयन करें
ग्रंथ प्रकाशन का उद्देश्य
भारत की आत्मा ...सेवा। जो केवल सहायता या दान नहीं है।
सेवा का सही अर्थ है कर्तव्य, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय।
सेवा को भावनात्मक कार्य से आगे ले जाकर विचारशील, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना।
सेवा के पीछे की भारतीय दृष्टि, प्रेरणा और दर्शन को उजागर करना।
इस विचार को बल देना कि सेवा व्यक्ति को संस्कारित कर समाज को संगठित एवं सशक्त करने का प्रभावी माध्यम है।
आदर्श सेवा कार्यों को संकलित कर समाज के प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना।
प्रकाशन पूर्व मूल्य
600/-
ग्रंथ का मूल्य
₹700/-
हिंदी विवेक
सेवा विवेक ग्रंथ
देश के गणमान्य विशेषज्ञों एवं लेखकों की कलम से समृद्ध विषय वस्तु से परिपूर्ण ग्रंथ
ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।
Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK
Bank : State Bank of India
Branch : Charkop
A/C No. : 43884034193
IFSC : SBIN0011694
स्थानीय प्रतिनिधि से सम्पर्क करें
कार्यालय : सहारा नांगरे - 9594991884
Email : hindivivekvargani@gmail.com

पूनम नेगी

गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारे से सम्पूर्ण वातावरण दिव्य व पवित्र हो जाता है।

हिंदू संस्कृति के व्रतों-त्योहारों व पर्वों की सुदीर्घ श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है गणेश चतुर्थी। देश दुनिया के सनातन हिंदू धर्मावलम्बी प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से अनंत चतुर्दशी तक विध्नहर्ता भगवान गणेश का जन्मोत्सव बेहद श्रद्धा व उल्लास से मनाते हैं। हिंदू तिथि पंचांग के अनुसार गणपति बप्पा का जन्मोत्सव इस वर्ष 14 सितम्बर से शुरू होकर 25 सितम्बर को सम्पन्न होगा। ज्ञात हो कि भगवान गणेश भारत की सनातन संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हिंदू धर्म में उन्हें 'प्रथम पूज्य' की गरिमामय पदवी से विभूषित किया गया है। सनातन संस्कृति का कोई भी कार्य गणपति को नमन के बिना शुरू नहीं किया जाता। वे सुख-समृद्धि, वैभव एवं आनंद के अधिष्ठाता देवता हैं। ब्रह्म और जगत के यथार्थ को बताने वाली परम शक्ति हैं। विघ्नहर्ता हैं व शुभत्व का पर्याय भी।

शास्त्रीय मान्यता अनुसार गणेश जी का अवतरण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न काल में हुआ था। इस कारण देश का सनातनधर्मी समाज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को इसी समय गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की विधिवत स्थापना व पूजन करता है। तदुपरांत श्रद्धालु जन चतुर्थी से चतुर्दशी तक प्रथम पूज्य गजानन गणेश जी दस दिवसीय जन्मोत्सव श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाते हैं। यूं तो देवाधिदेव महादेव और जगजननी मां पार्वती के पुत्र आदि देव गणेश की उत्पत्ति का पौराणिक कथानक बेहद रोचक है। इस कथानक के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने उबटन के मैल से एक बालक का पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दी थीं। उस बालक की मनोहारी छवि ने माता पार्वती के मन में वात्सल्य जगा

तेरी जय हो गणेश...

दिया और उन्होंने उसे अपना पुत्र बना लिया। एक दिन उस बालक को पहरेदारी का दायित्व सौंप कर माता पार्वती गुफा के भीतर स्नान को चली गईं। उसी समय महादेव वहां आएं और गुफा में प्रवेश करने लगे। बालक ने उन्हें गुफा प्रवेश से रोका तो महादेव ने पहले तो बालक समझ कर उसे समझाया किंतु उस बालक की हठ देखकर क्रुद्ध हुए महादेव ने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को इसकी जानकारी हुई तो उनके क्रोध से पूरे कैलाश पर कोहराम मच गया। तब माता का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने बालक के मस्तक पर गजशीश लगाकर उसे पुनर्जीवन दिया और वह बालक गजानन गणेश के नाम से लोक विख्यात हुआ। शास्त्रीय विवरणों के अनुसार वह पावन तिथि भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी थी। उक्त अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा ने उन्हें यश का, जगत पालक श्रीहरि विष्णु ने ज्ञान का और महादेव ने प्रथम पूज्य होने का आशीष दिया। मां महालक्ष्मी ने कहा कि जहां गणेश रहेंगे, वहां मैं रहूंगी। सरस्वती ने उन्हें वाणी, स्मृति एवं वक्तृत्व-शक्ति प्रदान की।

गणेशोत्सव के दौरान देशभर के हिंदू समाज द्वारा मंगलपूर्ति गणेश के आरती-वंदन के दौरान 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारे लगाते हैं मगर कम ही लोग गणपति बप्पा से जुड़े इस मोरया नाम का अर्थ जानते होंगे। इस बाबत गणेश-पुराण में कथा है कि सिंधु नामक दैत्य के अत्याचारों से देवगणों की रक्षा के लिए गणेश जी ने मयूर को अपना वाहन चुना और छह भुजाओं वाला अवतार लिया। इसी कारण से इन्हें मयूरेश्वर के रूप में पूजा गया जो कालांतर में मोरया हो गया।

ज्ञात हो कि इस विशिष्ट साधनाकाल में गिरिजानंदन अपने प्रत्येक भक्त के घर में अलग-अलग सुंदर स्वरूपों में पधारते हैं। गिरिजानंदन ऐसे अतिथि हैं जो हैं तो एक परंतु सबके घरों में अलग-अलग स्वरूपों में पधारते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी विशाल आकृति इतना लचीलापन लिए हुए है कि हर चित्रकार को अपनी-अपनी दृष्टि से उन्हें चित्रित करने का अवसर प्रदान करती है। गजानन की किसी मूर्ति में हाथ में लड्डू है तो किसी में वे सिर पर सुंदर पगड़ी धारे हैं, किसी प्रतिमा में गणपति चूहे पर आसीन हैं तो किसी में आराम से पालथी मारे बैठे हैं तथा कहीं रोचक भाव भंगिमा में नृत्य। भारतीय कला संस्कृति की विभिन्न शैलियों में जितनी विविधता गणेश-छवियों में दिखती है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं।

गजानन गणेश की आकृति जितनी मनोहारी है, उसका तत्वदर्शन भी उतना ही शिक्षाप्रद। गणेश का गज मस्तक उनकी सर्वोपरि बुद्धिमत्ता व विवेकशील होने का प्रतीक है। उनकी सूंड़ रूपी लम्बी नाक कुशाग्र घ्राणशक्ति की द्योतक है, जो हर विपदा को दूर से ही सूंघ लेती है। छोटी छोटी आंखें गहन व अगम्य भावों की परिचायक हैं, जो जीवन में सूक्ष्म लेकिन तीक्ष्ण दृष्टि रखने की प्रेरणा देती हैं। उनका लम्बा उदर दूसरों की बातों की गोपनीयता, बुराइयों, कमजोरियों को स्वयं में समाविष्ट कर लेने की शिक्षा देता है। बड़े-बड़े सूपकर्ण कान का कच्चापन न होने की सीख देते हैं। स्थूल देह में वह गुरुता निहित है, जो गणनायक में होनी चाहिए। गणेश शौर्य, साहस तथा नेतृत्व के भी प्रतीक हैं। उनके हेरंब रूप में युद्धप्रियता का, विनायक रूप में यक्षों जैसी विकरालता का और विघ्नेश्वर रूप में लोकरंजक एवं परोपकारी स्वरूप का दर्शन होता है। गण का अर्थ है समूह। गणेश समूह के स्वामी हैं इसीलिए उन्हें गणाध्यक्ष, लोकनायक, गणपति आदि नामों से पुकारा जाता है। गणेश चतुर्थी से शुरू हुई भागवत कथा अनंत चतुर्दशी को पूर्ण हुई थी

गणपति बप्पा का दस दिवसीय पूजनोत्सव अंनत चतुर्दशी पर प्रतिमा विसर्जन के साथ सम्पन्न होता है। श्रीमद्भागवत में उल्लेख मिलता है कि महर्षि वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी से भागवत कथा शुरू की थी। वे आंख बंद कर कथा कहते रहे और श्री गणेश अपने एक दांत को कलम बनाकर बिना रुके उसे लिपिबद्ध करते रहे। दस दिन बाद जब कथा पूरी कर महर्षि व्यास ने अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि दस दिन के अनथक श्रम से गणेश जी के शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ गया। तब वेद व्यास जी ने तत्काल गणेश जी को निकट के जलकुंड में बैठाकर उनके शरीर का ताप शांत किया। उक्त तिथि भाद्रपद शुक्ल की अनंत चतुर्दशी थी। तभी से अनंत चतुर्दशी को उनकी प्रतिमा के जल विसर्जन की परम्परा शुरू हो गई। अंनत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन की परम्परा वस्तुतः हमारे जीवन व मृत्यु के चक्र की प्रतीक है। गणेश की मूर्ति बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है एवं फिर उसे अगले साल वापस पाने के लिए प्रकृति को सौंप दिया जाता है। इसी तरह, हम भी इस संसार में आते हैं अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं एवं समय समाप्त होने पर पुनः एक नए जीवन की आशा के साथ मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। विसर्जन हमें सिखाता है कि सांसारिक वस्तुएं व लौकिक सुख केवल शरीर को तृप्त करती हैं न कि आत्मा को। इस जीवन में मनुष्य को कई वस्तुओं से लगाव हो जाता है, लेकिन जब मृत्यु आती है तब हमें इन सारे बंधनों को तोड़ कर जाना पड़ता है। ■■■

हरतालिका तीज

संग हमेशा साजन हो...

अखंड सौभाग्य व पति की लम्बी आयु की कामना के साथ महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। विवाहिता सोलह श्रृंगार कर माता पार्वती व शिव की आराधना करती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं।

हरतालिका व्रत एवं पूजा की परम्परा पुरातन काल से चली आ रही है। यह व्रत स्त्रियों के सौभाग्य से जुड़ा माना जाता है। तीज अमावस्या के तीन दिन बाद, अर्थात् भादों की तृतीया के दिन मनाया जाता है।

यह त्योहार अविवाहित और विवाहित दोनों स्त्रियां मनाती हैं। अविवाहित स्त्रियां योग्य पति की प्राप्ति हेतु तथा विवाहित स्त्रियां पति की लम्बी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करती हैं।

इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा में माता पार्वती द्वारा भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए किए गए घोर तप और दृढ़ संकल्प का वर्णन है। माता पार्वती ने अपने पति की प्राप्ति हेतु माता-पिता और राजमहल तक का त्याग कर दिया और घने जंगल में अपनी सखी के साथ चली गईं। 'हरतालिका' शब्द में 'हर' का अर्थ अपहरण और 'तालिका' का अर्थ सखी है।

परिणीता सिन्हा 'स्वयंसिद्धा'

माता के प्रेम की पराकाष्ठा सुनकर हम भावविभोर हो जाते हैं। उन्होंने अपने तप के दौरान कभी सिर्फ बेलपत्र खाकर तपस्या की, तो कभी सर्दी में ठंडे जल में रहकर कठोर साधना की। शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की यह कथा अनेकों को शाश्वत प्रेम के लिए प्रेरित करती है।

इस त्योहार में स्त्रियां नए वस्त्र और आभूषण धारण कर सोलह श्रृंगार से सजती हैं। वे हाथों में मेहंदी लगाकर संवरती हैं और गीत गाकर नृत्य भी करती हैं।

यह त्योहार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान,

मध्य प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माता के वन-प्रसंग की मिट्टी से बनी झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं और खीरा एवं पकवान का प्रसाद तैयार किया जाता है। राजस्थान में प्रसाद में मुख्यतः घेवर और मालपुआ चढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र में शिव, गौरी, सखी एवं गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और विशेष पूजन होता है, जिसमें नारियल से बने पारम्परिक पकवान का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बिहार और झारखंड में निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्त्रियां जल एवं आहार ग्रहण करती हैं, जिसे 'सरगही' कहते हैं। यहां प्रसाद के रूप में मुख्यतः ठेकुआ और पेढ़किया बनाया जाता है। पांच प्रकार के फल, नारियल और जल रखकर कलश स्थापित किया जाता है।

व्रती स्त्रियां समूह में शिव-पार्वती की पूजा करती हैं और हाथ में चना, फूल तथा अक्षत रखकर कथा सुनती हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान एवं वस्त्र डलिया में डालकर चढ़ाया जाता है। पूजा शाम और अगले दिन सुबह की जाती है। माता को खोइछा देकर पूजा की समाप्ति के बाद मूर्तियों का तालाब में विसर्जन किया जाता है।

इस कथा का सार यही है कि यदि शुद्ध मन से कोई कार्य किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। हमारे त्योहार जीवन की एकरसता में मधुरता घोलते हैं। त्योहारों में बनाए जाने वाले विभिन्न पकवान परिवार के सदस्यों में प्रेम का संचार करते हैं। नए कपड़े और आभूषण पाकर स्त्रियां रोमांचित होती हैं तथा पुरुष भी स्त्रियों के व्रत रखने से प्रसन्न होते हैं।

कई शोध यह प्रमाणित कर चुके हैं कि व्रत रखने से हमारे शरीर से कई टॉक्सिन्स का उत्सर्जन होता है। हमारे देश की संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृतियों में से एक है, जिसमें प्रेम और भक्ति के संदेश अंतर्निहित हैं।

तीज भारतीय स्त्रियों के लिए सदैव प्रासंगिक है। भले ही आधुनिकता के रंग में रंगकर इसका स्वरूप थोड़ा बदला हो, लेकिन आज भी बहुसंख्यक महिलाएं इस त्योहार को बड़े धूम-धाम से मनाती हैं। व्रत के एक दिन पहले से बाज़ार में मेहंदी लगवाने के लिए कतार लग जाती है। ब्यूटी पार्लरों में भी विभिन्न प्रकार के ऑफर मिलने लगते हैं। सोने-चांदी की दुकानों में पति अपनी पत्नी के लिए उपहार खरीदते दिखते हैं। ■■■

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए मौलिक एवं संग्रहणीय पुस्तक

हिंदी विवेक
" We Work For A Better World"

पद्मश्री रमेश पतंगे लिखित
'हिंदी विवेक' द्वारा प्रकाशित

हम संघ में क्यों हैं...

संघ विचारों की मूल प्रेरणा, संघकार्य को समझने की प्रक्रिया और इन सभी से संघ स्वयंसेवकों को अनायास मिलनेवाले राष्ट्रबोध और कर्तव्यबोध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

पंजीयन करें

पुस्तक का मूल्य ₹250/-

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, Branch - Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483, भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

सृजन व कौशल का उत्सव

भगवान विश्वकर्मा को सनातन परम्परा में ब्रह्मांड के प्रथम शिल्पकार, वास्तुकार और अभियंता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने ही देवताओं के दिव्य अस्त्रों, भव्य नगरियों (जैसे द्वारका, लंका और इन्द्रप्रस्थ) और स्वर्ग लोक का निर्माण किया।

विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत संदृक्।
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्पर एकमाहुः।।

इसमें उन्हें सम्पूर्ण ब्रह्मांड का मूल रचयिता माना गया है। प्रत्येक वर्ष कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। इस दिन कारीगर, शिल्पकार और निर्माण कार्य से जुड़े लोग अपने औजारों, मशीनों, वाहनों और तकनीकों की पूजा करते हैं, ताकि उनका कार्य सुचारू रूप से चले और उसमें उन्नति हो।

आज के युग में विश्वकर्मा पूजा केवल पारम्परिक औजारों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका अर्थ और व्यापक हो गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कलन विधि और रोबोट विज्ञान मनुष्य के रचनात्मक मस्तिष्क की देन हैं। आज के सॉफ्टवेयर निर्माता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासक और डेटा वैज्ञानिक भी आधुनिक 'विश्वकर्मा' की भूमिका निभा रहे हैं, जो कोड और आंकड़ों के माध्यम से नई आभासी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं।

प्राचीन काल में हथौड़ा, छैनी या पहिया मनुष्य के औजार थे। आज संगणक, सर्वर, क्लाउड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल और कोड हमारे प्रमुख औजार हैं। इसलिए विश्वकर्मा पूजा का आधुनिक अर्थ इन उपकरणों के साथ इससे जुड़े लोगों के प्रति सम्मान और तकनीक के उपयोग को लोककल्याण से जोड़ने का संकल्प भी है। विश्वकर्मा पूजा कौशल और निरंतर सीखने का भी उत्सव है। जब काम करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं, तब स्वयं को उन्नत करना और नई तकनीकों को सीखना ही इस परम्परा की आधुनिक अभिव्यक्ति है।

अपर्णा झा

रामायण और महाभारत काल में भी विश्वकर्मा का सम्बंध दिव्य स्थापत्य और निर्माण से जोड़ा गया है। लंका, पुष्पक विमान तथा इंद्रप्रस्थ जैसे निर्माण उनके अप्रतिम शिल्प और अभियांत्रिकी की प्रतीकात्मक स्मृति हैं।

इनके अलावा अनेक दिव्यास्त्रों और नगरों के निर्माता भगवान विश्वकर्मा को केवल देवताओं का शिल्पी नहीं, बल्कि सम्पूर्ण ब्रह्मांड का प्रथम अभियंता माना गया है। सनातन परम्परा केवल ज्ञान और दर्शन की बात नहीं करती, बल्कि यह सृजन, स्थापत्य और विज्ञान का व्यावहारिक संगम है।

आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम, चैटबॉट्स और ऑटोमेशन के दौर में यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि तकनीक मानव कौशल और श्रम को प्रतिस्थापित कर सकती है। ऐसे समय में विश्वकर्मा पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। इसका संदेश स्पष्ट है-औजार बदल सकते हैं, लेकिन सृजन का उद्देश्य और उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बदलनी चाहिए।

बदलती तकनीकी दुनिया में कौशल का अवमूल्यन नहीं, बल्कि उसका उन्नयन आवश्यक है। साधारण कार्यों के स्वचालित होने के साथ मनुष्य को उच्चतर कौशल, रचनात्मकता, नेतृत्व और प्रणाली-निर्माण की ओर बढ़ना होगा।

विश्वकर्मा पूजा का आधुनिक संदेश यह नहीं है कि मशीन और मनुष्य एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। बल्कि यह है कि मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल और विवेक से तकनीक को दिशा दे। इसीलिए विश्वकर्मा पूजा हमें तकनीक के अंध-आकर्षण नहीं, बल्कि उत्तरदायी दृष्टि देती है। नई तकनीक की सफलता केवल उसकी गति या क्षमता से नहीं, बल्कि इस बात से तय होनी चाहिए कि वह समाज में क्या महत्त्व जोड़ती है। यदि तकनीक श्रम को सुलभ करती है, जीवन को बेहतर बनाती है, तो वह विश्वकर्मा के सृजनात्मक आदर्श के निकट है। भगवान विश्वकर्मा केवल अतीत के पौराणिक शिल्पी नहीं हैं, बल्कि वे हर युग के नवाचार और निर्माण के प्रतीक हैं।

विश्वकर्मा पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान विश्वकर्मा की उपासना के लिए मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का मुख्य शिल्पी और वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने स्वर्ग के भवन, इंद्र का रथ, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल जैसे दिव्य अस्त्र बनाए थे। यह पर्व विशेष रूप से कारीगरों, मिस्त्रियों, इंजीनियरों, ड्राइवरों और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों द्वारा बड़े उत्साह से मनाया जाता है।

यह पूजा कन्या संक्रांति के दिन होती है। इस दिन लोग अपने औजारों, मशीनों, कंप्यूटर और वाहनों को साफ करके फूल-माला से सजाते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। सुबह स्नान कर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की जाती है, धूप-दीप जलाए जाते हैं और आरती की जाती है। कई कारखानों और कार्यालयों में सामूहिक पूजा का आयोजन होता है तथा काम बंद रखा जाता है।

यह पर्व श्रम और कौशल के सम्मान का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि समाज की प्रगति में कारीगरों का कितना बड़ा योगदान है।

■■■

स्वयं के लिए और अपने परिजनों के लिए ग्रंथ का पंजीयन करें

इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे

- संघ में हो रहे अनगिनत सेवा कार्यों का परिणाम क्या है?
- डॉ. हेडगेवार जी से लेकर डॉ. मोहन भागवत जी तक के सभी सरसंघचालकों का दिशादर्शन...
- राजनीति को केंद्र में न रखकर राष्ट्रीयत्व को क्यों केंद्र में रखा?
- भारत के सम्मुख चुनौतियां और संघ कार्य का प्रभाव
- संघ विचारधारा और परिवर्तन

जैसे विविध मौलिक विषय

ग्रंथ का मूल्य ₹700/-

ईमेल – hindivivekvargani@gmail.com

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, **Branch -** Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

सम्पर्क प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483
भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

50+ YEARS OF MOMENTUM
अर्थ सहकारेण कल्याणम्
दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि.
मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक
सोने तारण कर्ज
जलद कर्ज
कमी प्रक्रिया शुल्क
व्याजदर
९.५०%* वार्षिक
* अटी व शर्ती लागू
TOLL FREE: 1800 233 1919
kalyanjanata.in
KJSBank

आवश्यक है पारदर्शिता

सचिन तिवारी

श्रद्धालुओं की आस्था के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत तथा पारदर्शी बनी रहे। इसी दृष्टि से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हाल में महत्वपूर्ण नियुक्तियां एवं जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं।

अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण करोड़ों भारतीयों के लिए केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि लम्बे समय से संजोए गए विश्वास और आस्था की परिणति है। मंदिर के भव्य निर्माण के बाद अब एक दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सामने है, इस विशाल धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र का संचालन किस तरह किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत तथा पारदर्शी बनी रहे। इसी दृष्टि से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हाल में महत्वपूर्ण नियुक्तियां एवं जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों को केवल पदों के फेरबदल के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इनके पीछे मंदिर की बढ़ती जिम्मेदारियों, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संस्थागत बनाने की आवश्यकता भी दिखाई देती है।

सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का सृजन तथा उस पर सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति है। सेना के रिटायर अधिकारी के जिम्मे मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी देना निश्चित तौर पर एक नया एवं पूर्ण प्रासंगिक प्रयोग है ऐसा इसलिए भी हुआ क्योकि अयोध्या के पूज्य साधु संतो को किसी आईएएस को यह महत्वपूर्ण पद देना उचित नहीं लग रहा था। सेना एवं उसकी कार्यप्रणाली से सभी भारतीय भलीभांति परिचित हैं एवं उनमें सभी नागरिक समाज की एक निष्ठा भी है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या भारत के सांस्कृतिक वैभत्व की आधार भूमि के रूप में उभरी है, ऐसे में सेना के एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका मंदिर के दैनिक संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाने में उपयोगी हो सकती है। सीईओ के माध्यम से प्रशासनिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बांटने एवं निर्णय प्रक्रिया को अधिक पेशेवर बनाने की सम्भावना बढ़ी है। ट्रस्ट की संरचना में भी महत्वपूर्ण

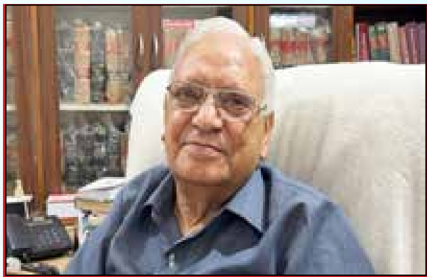
वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडेय

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मला यादव

कोषाध्यक्ष, महेश भागचंदका

बदलाव हुआ है। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, इससे पहले वे कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। वहीं महेश भागचंदका को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ट्रस्ट में अयोध्या के ही रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडेय तथा डॉ. निर्मला यादव सहित नए न्यासियों को भी शामिल किया गया है। डॉ. निर्मला यादव की नियुक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि वह ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य बनी हैं। इन नियुक्तियों में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभव को स्थान देने का प्रयास दिखाई देता है। धार्मिक क्षेत्र से जुड़े अनुभव के साथ-साथ कानून, वित्त, शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र की समझ भी किसी बड़े संस्थान के लिए आवश्यक होती है।

पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है?

राम मंदिर की व्यवस्था का सबसे संवेदनशील पक्ष उसकी वित्तीय पारदर्शिता है। देश के कोने-कोने से श्रद्धालु मंदिर में दान एवं चढ़ावा देते हैं। यह धन किसी व्यक्ति या संस्था की निजी सम्पत्ति नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा योगदान है। इसलिए दान का सही उपयोग तथा उसका स्पष्ट लेखा-जोखा मंदिर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। यही कारण है कि ट्रस्ट द्वारा वित्तीय जानकारी को अधिक व्यवस्थित एवं सार्वजनिक करने की दिशा में उठाए जा रहे कदम महत्वपूर्ण हैं। यदि श्रद्धालुओं को यह जानकारी आसानी से उपलब्ध हो कि मंदिर को कितना दान प्राप्त हुआ, उसका उपयोग किन कार्यों में किया गया तथा विभिन्न परियोजनाओं पर कितना खर्च हुआ, तो इससे लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। इस दृष्टि से सीईओ की नियुक्ति एवं वित्तीय प्रबंधन में तकनीक के प्रयोग की दिशा में प्रयास महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज डिजिटल तकनीक ने वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्था को पहले की तुलना में कहीं अधिक पारदर्शी बनाने की क्षमता दी है। दान की डिजिटल निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, नियमित ऑडिट और सार्वजनिक रिपोर्टिंग जैसे उपाय भविष्य में मंदिर की व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं।

आस्था के साथ आधुनिक प्रबंधन आवश्यक

राम मंदिर का प्रशासन एक सामान्य संस्थान के प्रशासन से अलग है। यहां आधुनिक प्रबंधन एवं धार्मिक परम्परा, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। मंदिर की मूल भावना एवं धार्मिक मर्यादाएं अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, वहीं आधुनिक सुविधाएं तथा कुशल प्रशासन भी आज की आवश्यकता हैं। किसी भी मंदिर में आने वाला श्रद्धालु केवल दर्शन के लिए तो अवश्य आता है लेकिन उसकी अपनी कुछ चिंताएं भी होती हैं, वह चाहता है कि उसे सुरक्षित एवं सुगम दर्शन मिले, रहने तथा आने-जाने की अच्छी व्यवस्था हो तथा मंदिर परिसर में अनुशासन और स्वच्छता बनी रहे। इसलिए मंदिर का प्रबंधन जितना मजबूत होगा, श्रद्धालुओं का अनुभव उतना ही बेहतर होगा। यह सब सुविधाएं और भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं जब 500 वर्षों के कठिन प्रतीक्षा के पश्चात यह शुभ अवसर आया हो।

राम मंदिर से जुड़ी सबसे बड़ी शक्ति लोगों का विश्वास है। दशकों तक चले संघर्ष के बाद जब मंदिर का निर्माण हुआ, तो करोड़ों लोगों ने इसे अपनी आस्था की विजय के रूप में देखा। इसलिए मंदिर के प्रशासन से अपेक्षाएं भी सामान्य धार्मिक संस्थानों की तुलना में अधिक हैं। यही कारण है कि ट्रस्ट के लिए वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। श्रद्धालु जब अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर को कुछ देता है, तो उसके मन में यह विश्वास होता है कि उसका योगदान भगवान राम की सेवा और मंदिर की व्यवस्था में उपयोग होगा। इस विश्वास को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। नई नियुक्तियों से आशा की जानी चाहिए कि वे इसी विश्वास को और मजबूत करेंगी। प्रशासन में विशेषज्ञता, वित्तीय अनुशासन, तकनीक का उपयोग एवं सार्वजनिक जानकारी की बेहतर व्यवस्था आने वाले समय में मंदिर के संचालन को अधिक प्रभावी बना सकती है। नई नियुक्तियों का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि जिम्मेदारियों को अलग-अलग स्तरों पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। इससे धार्मिक निर्णयों एवं प्रशासनिक कार्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जा सकता है।

उफ! ये महंगाई...

वृद्धि

महंगाई की अप्रत्याशित वृद्धि से इसका सीधा असर लोगों के बटुए पर पड़ा है। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ने से लोगों का बजट असंतुलित होने लगा है।

सतीश सिंह

मुम्बई में दूध और ऑटो-रिक्शा के किराए में हालिया वृद्धि ने आम परिवारों के पहले से दबाव में चल रहे बजट को और असंतुलित कर दिया है। महंगाई केवल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि नहीं है, बल्कि यह आम आदमी की क्रय-शक्ति में होने वाली अदृश्य कटौती भी है। वेतन या आय पहले जितनी ही रहती है, किंतु उसी राशि से मिलने वाली वस्तुओं और सुविधाओं की मात्रा घट जाती है। यही कारण है कि महंगाई का असर सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक रसोई, बाजार, विद्यालय, अस्पताल और दैनिक आवागमन में अनुभव होता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जुलाई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई, जबकि खाद्य महंगाई 5.52 प्रतिशत रही। ग्रामीण महंगाई 4.84 प्रतिशत और शहरी महंगाई3.96 प्रतिशत दर्ज की गई। ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित दायरे में अवश्य हैं, लेकिन आम उपभोक्ता के लिए राहत का वास्तविक पैमाना केवल औसत महंगाई दर नहीं होता। उसके लिए यह अधिक मायने रखता है कि दूध, सब्जी, अनाज, रसोई गैस, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक मदों पर कितना अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है।

मुम्बई में एक सितम्बर से स्थानीय डेयरियों और तबेलों से मिलने वाले दूध का थोक मूल्य 93 रुपए से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यानी एक बार में 9 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खुदरा बाजार में यह दूध 110 रुपए प्रति लीटर

तक पहुंच सकता है। इसके पहले गोकुल ने भी भैंस के दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 78 रुपए प्रति लीटर कर दी थी। किसानों और दुग्ध उत्पादकों को उनकी लागत का उचित मूल्य मिलना आवश्यक है, लेकिन इस वृद्धि का अंतिम भार उपभोक्ता को ही उठाना पड़ता है।

दूध सामान्य उपभोग की ऐसी वस्तु है, जिसकी मांग कीमत बढ़ने पर भी बहुत कम घटती है। बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों के लिए इसे विलासिता नहीं माना जा सकता। यदि कोई परिवार प्रतिदिन 2 लीटर दूध स्थानीय बाजार से खरीदता है, तो 9 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि से उसका मासिक खर्च लगभग 540 रुपए बढ़ जाएगा। सीमित आय वाले परिवार के लिए यह छोटी राशि नहीं है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि परिवार दूध की मात्रा घटाए, अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प चुने या फल, दाल और दूसरी पौष्टिक वस्तुओं पर खर्च कम करे। इस प्रकार दूध की महंगाई अंततः पोषण सम्बंधी असमानता को बढ़ा सकती है।

दूध के दाम बढ़ने का प्रभाव केवल घर की चाय या बच्चों के गिलास तक सीमित नहीं रहेगा। चाय, कॉफी, दही, पनीर, मिठाई, आइसक्रीम और खानपान से जुड़े अनेक छोटे व्यवसायों की लागत भी बढ़ेगी। चाय बेचने वाले, छोटे भोजनालय, मिठाई की दुकानें और घरेलू स्तर पर दुग्ध उत्पाद बनाने वाले कारोबारी अपने उत्पादों के दाम बढ़ा सकते हैं या मात्रा कम कर सकते हैं। त्योहारों के समय दूध और मावे की मांग बढ़ने से मिठाइयों की कीमतों पर इसका असर अधिक दिखाई दे सकता है। इस तरह एक आवश्यक वस्तु की मूल्यवृद्धि कई दूसरी वस्तुओं तक फैल जाती है।

इसी बीच मुम्बई महानगर क्षेत्र में ऑटो-रिक्शा का न्यूनतम किराया पहले डेढ़ किलोमीटर के लिए 26 रुपए से बढ़कर 27 रुपए हो गया है। इसके बाद प्रति किलोमीटर किराया 17.14 रुपए से बढ़ाकर 18.22 रुपए किया गया है। काली-पीली टैक्सी का न्यूनतम किराया भी 31 रुपए से बढ़कर 33 रुपए हो गया है। किराए में यह वृद्धि देखने में मामूली लग सकती है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन ऑटो से कार्यालय, स्टेशन, विद्यालय या बाजार जाता है, उसके लिए महीने के अंत में यह उल्लेखनीय अतिरिक्त बोझ बन जाती है।

ऑटो और टैक्सी किराये में वृद्धि का एक प्रमुख कारण ईंधन लागत है। मुम्बई महानगर क्षेत्र में सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़कर 88 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। चालकों के लिए ईंधन के साथ वाहन की मरम्मत, बीमा, परमिट और रोजमर्रा के रख-रखाव का खर्च भी बढ़ा है और इससे इस श्रृंखला में उत्पादक, सेवा प्रदाता और उपभोक्ता-तीनों दबाव में हैं। आय में उसी अनुपात में वृद्धि न होने के कारण सबसे अधिक चोट निम्न और निम्न-मध्यम वर्ग को लगती है।

महंगाई की सबसे गम्भीर विशेषता उसका संचयी प्रभाव है। दूध पर 500 रुपए, आवागमन पर कुछ 100 रुपए, सब्जियों पर अतिरिक्त खर्च और विद्यालय की फीस अथवा दवाओं की कीमत में वृद्धि-इन सभी को अलग-अलग देखने पर रकम सीमित लग सकती है। लेकिन जब इन्हें जोड़कर देखा जाता है, तो परिवार का मासिक बजट हजारों रुपए बढ़ जाता है। जिन परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा पहले ही किराया, भोजन और परिवहन में खर्च हो जाता है, उन्हें बचत घटानी पड़ती है।

कई बार आकस्मिक चिकित्सा, बच्चों की पढ़ाई अथवा घरेलू आवश्यकताओं के लिए क्रेडिट कार्ड या व्यक्तिगत ऋण का सहारा लिया जाता है। इससे महंगाई वर्तमान उपभोग के साथ भविष्य की वित्तीय स्थिरता को भी प्रभावित करती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी उपभोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें परिवारों की उपलब्ध आय का बड़ा हिस्सा सोख लेंगी, तो वे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मनोरंजन, पर्यटन और अन्य गैर-आवश्यक वस्तुओं पर खर्च कम करेंगे। इससे बाजार की मांग प्रभावित होगी और छोटे व्यापारियों तथा सेवा क्षेत्र की आय पर दबाव बढ़ेगा।

इस प्रकार महंगाई केवल उपभोक्ता की समस्या नहीं रहती, वह रोजगार, उत्पादन और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है।

इस स्थिति से निपटने के लिए बहुस्तरीय प्रयास आवश्यक हैं। सरकार को दूध, अनाज, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति-श्रृंखला मजबूत करनी चाहिए। भंडारण, परिवहन और बिचौलियों से जुड़ी लागत कम करने के साथ जमाखोरी और कृत्रिम मूल्यवृद्धि पर निगरानी जरूरी है। पशुपालकों को सस्ता चारा, पशु-चिकित्सा सुविधाएँ और उत्पादकता बढ़ाने वाली सहायता मिले, ताकि उन्हें उचित आय देने का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर न आए। सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, विश्वसनीय और विस्तृत बनाकर ऑटो-टैक्सी पर निर्भरता घटाई जा सकती है। ईंधन कीमतों में बार-बार होने वाले बदलावों का सार्वजनिक परिवहन किरायों पर पड़ने वाला असर भी संतुलित किया जाना चाहिए। ■■■

कॉकरोच मानसिकता

अर्जुन आनंद

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुए मुकदमों को रद्द करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितम्बर 2026 को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर को रद्द कर दिया है।

'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) तब अस्तित्व में आई जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी में बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से की गई। मुख्य न्यायाधीश ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका आशय फर्जी डिग्री वाले अधिवक्ताओं से था। इस व्यंग्यात्मक दल को सोशल मीडिया पर वायरल होने में समय नहीं लगा। देशभर में चल रहे प्रदर्शनों के बीच कॉजपा का आंदोलन इसलिए भी प्रचलित हुआ क्योंकि उसका केंद्र राष्ट्रीय राजधानी था। जंतर-मंतर पर धीरे-धीरे लगभग सभी विपक्षी और वामपंथी दल दुकान डाल चुके थे। 20 जुलाई को जब संसद-मार्च की घोषणा हुई तो सभी समझ चुके थे कि अब कुछ भी हो सकता है। प्रदर्शनकारी उत्तेजित थे कि व्यवस्था परिवर्तन होगा और सरकार चिंतित थी कि हिंसा होगी। संसद में बिना अनुमति प्रवेश सुरक्षा की दृष्टि से वैसे भी अत्यंत घातक होता है। जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ने के प्रयास पर पुलिस कार्रवाई हुई, लाठी और अश्रुगैस का प्रयोग हुआ, पैलेट गन चलने और कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने के आरोप लगे। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग-पत्र दे दिया, जो आंदोलन की सबसे बड़ी मांग थी। सरकार ने शेष मांगें भी मानीं, जिनमें मुकदमे वापस लेने का आश्वासन भी था, और 36 दिन चला आंदोलन उसी दिन समाप्त हुआ। कॉजपा नेतृत्व ने स्वयं माना कि प्रदर्शन में आए कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा की और इस आंदोलन की तुलना उन गुटों से नहीं होनी चाहिए।

न्यायालय ने वस्तुतः किया क्या

1 सितम्बर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहन की पीठ ने 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रदर्शनों से जुड़ी सभी एफआईआर रद्द कर दीं। इसके तुरंत बाद कॉजपा ने 5 सितम्बर का प्रस्तावित मार्च वापस ले लिया।

यहां तीन तथ्य महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें बहस में लगभग कोई नहीं उठा रहा। पहला, यह राहत अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दी गई है, न कि सामान्य आपराधिक विधि के अंतर्गत। साधारणतः एफआईआर रद्द करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 (पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482) और अनुच्छेद 226 में है, और स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल (1992) की सात कसौटियां यह चेतावनी भी देती हैं कि इस शक्ति

क्रांतिकारी गतिविधि व उत्तरदायित्व का प्रश्न

का प्रयोग विरले ही किया जाए। यहां प्रक्रिया उल्टी चली। पहले केंद्र सरकार अनुच्छेद 142 के तहत आवेदन लेकर आई, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम ने 116 एफआईआर के लिए वही मांग रखी। आधार कोई विधिक निर्दोषिता नहीं, बल्कि 25 जुलाई को कॉजपा को दिया गया सरकारी आश्वासन था।

दूसरा, पीठ ने स्पष्ट कहा कि यह आदेश मामले के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है और अधिमान (प्रेसिडेंस) नहीं बनेगा। यानी न्यायालय ने भी इसे एक समझौते का क्रियान्वयन माना, अधिकार की मान्यता नहीं। तीसरा, राहत सार्वभौमिक नहीं है। जंतर-मंतर पर उपस्थित 2,873 व्यक्ति, जिन पर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गम्भीर आरोप या आपराधिक पृष्ठभूमि है, इसके दायरे से बाहर रखे गए और पुलिस को उनके विरुद्ध कार्रवाई की छूट दी गई। न्यायालय ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि तीन महीने में पेपर लीक से प्रभावित उन परिवारों के लिए मुआवजा नीति बनाई जाए जिन्होंने अपने बच्चे खोए। अब देश के अनेक हाल में उभरे नेता, और कॉजपा नेतृत्व भी, यह आवाज उठा रहे हैं कि शेष 2,873 को भी वही छूट मिले। इस मांग का विधिक धरातल कमजोर है।

अनुच्छेद 19(1)(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार देता है। 'निरायुध' शब्द स्वयं में शर्त है, और अनुच्छेद 19(3) युक्तियुक्त निर्बंधन की अनुमति देता है। जिसने पथराव, आगजनी या सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति की, वह उस अधिकार के दायरे से बाहर निकल चुका है। इन रे: डेस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राईवेट प्रोपर्टीज (2009) में न्यायालय ने भीड़-हिंसा और संपत्ति-क्षति के लिए दायित्व निर्धारण की विस्तृत व्यवस्था दी है।

अनुच्छेद 14 का सहारा भी काम नहीं आएगा। समानता समान परिस्थिति वालों के बीच लागू होती है, और वर्गीकरण के लिए बोधगम्य विभेद पर्याप्त आधार है। असमान आचरण के लिए समान व्यवहार मांगना समानता की मांग नहीं, छूट की मांग है भारत में आंदोलनों के दौरान एफआईआर प्रायः थोक में, अज्ञात व्यक्तियों के नाम पर और बिना व्यक्तिगत भूमिका तय किए दर्ज होती हैं। ग्वालियर में 15 कार्यकर्ताओं पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा इसका उदाहरण है। पुलिस कार्रवाई की अति के आरोप भी हवा में नहीं हैं, तभी सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की। इसलिए 'उग्र' का ठप्पा किस साक्ष्य पर लगा, यह प्रश्न वैध है। परीक्षा व्यक्तिगत साक्ष्य की होनी चाहिए, भीड़ में उपस्थिति की नहीं। पर यह तर्क सुनवाई की मांग है, सामूहिक माफी की नहीं। ■■■

स्वरा भास्कर की फिसलती जुबान

बयान

योगेश कुमार गोयल

स्वरा भास्कर की जुबान फिर से एक बार फिसल गई। उन्होंने फिल्म 'पद्मावत' के जौहर दृश्य की तुलना आधुनिक बलात्कार पीड़ितों की मनः स्थिति से कर दी। यह टिप्पणी इतिहास के प्रति उनके अज्ञानता और गंदी लोकप्रियता का प्रयास है।

अभिनेत्री स्वरा भास्कर का बॉलीवुड में व्यावसायिक रिकॉर्ड चाहे जैसा भी रहा हो, विवादों से उनका पुराना और गहरा नाता है। हाल ही में नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म 'पद्मावत' के 'जौहर' दृश्य पर उनकी टिप्पणी ने एक बार फिर उनके ऐतिहासिक अज्ञान, वैचारिक खोखलेपन और ध्यान आकर्षित करने की सस्ती लालसा को उजागर कर दिया है। इतिहास के गूढ़ और संवेदनशील पन्नों को समझे बिना, कैमरे के सामने बैठकर उपदेश देना आधुनिक वामपंथी और छद्म-बुद्धिजीवी वर्ग की पुरानी आदत रही है। स्वरा भास्कर का बयान इसी विकृत और वातानुकूलित मानसिकता का एक और वीभत्स उदाहरण है। जब मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर विदेशी आक्रांता राज्यों पर आक्रमण करते थे, तब उनका एकमात्र उद्देश्य केवल भूमि जीतना नहीं था। उनका लक्ष्य स्थानीय संस्कृति को नष्ट करना, पुरुषों का कत्लेआम करना और महिलाओं को यौन दासता में धकेलना होता था। ऐसे वहशी आक्रांताओं के सामने पराजित पक्ष की महिलाओं के अधिकार, सम्मान और मानवीय अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाता था। विजेता आक्रांता जीवित महिलाओं को अपनी रखैल बनाते थे, बाजारों में बेचते थे और यहां तक कि शवों के साथ भी दरिंदगी करते थे। ऐसे भयावह, असहाय और वीभत्स संकट के क्षणों में रानी पद्मावती और हजारों क्षत्राणियों द्वारा जलती चिता में कूदकर 'जौहर' करना कोई आत्महत्या या कायरता का कार्य नहीं था बल्कि वह आक्रांताओं के वहशीपन के खिलाफ सर्वोच्च आत्मसम्मान, त्याग और प्रतिरोध की एक अप्रतिम मिसाल थी।

स्वरा भास्कर ने जिस निर्लज्जता से इस ऐतिहासिक और पवित्र बलिदान की तुलना आधुनिक दौर की बलात्कार पीड़ितों (रेप सर्वाइवर्स) की मनःस्थिति से की, वह न केवल ऐतिहासिक परिस्थितियों का घोर अपमान है बल्कि उनकी बौद्धिक दरिद्रता को भी दर्शाता है। आज के आधुनिक समाज में महिलाओं के पास न्याय मांगने के लिए न्यायालय हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, मीडिया है और मानवाधिकार संगठन हैं। इसके विपरीत, मध्यकाल की उन वीरांगनाओं के सामने न्याय की कोई गुंजाइश नहीं थी, उनके सामने केवल वहशी दरिंदे थे, जो उनकी अस्मत की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़े थे। ऐसे में आधुनिक 'वोक' और पश्चिमी चश्मे से ऐतिहासिक घटनाओं का मूल्यांकन करना पूरी तरह से अनुचित, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है। यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। जब कोई कलाकार अपनी अभिनय कला या प्रतिभा के बल पर चर्चा में नहीं रह पाता तो वह हिंदू आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक प्रतीकों पर विवादित टिप्पणी करके सुर्खियां बटोरने का प्रयास करता है। स्वरा भास्कर का यह जहरीला बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वे खुद को लिबरल और प्रगतिशील साबित करने का ढोंग करती हैं।

भारतीय और विशेषकर हिंदू समाज इस तरह की हरकतों को बहुत गहराई से देख रहा है। इतिहास की वीर नारियों के सर्वोच्च बलिदान को 'कायरता' या 'समस्याग्रस्त' करार देना केवल अनपढ़ता नहीं बल्कि उस संस्कृति और धरोहर का सीधा अपमान है, जिसने सदियों तक विदेशी बर्बरता का सामना करते हुए अपनी पहचान बचाई रखी। सार्वजनिक मंचों पर बोलने वाले कथित बुद्धिजीवियों को यह

समझना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना और बलिदानियों का उपहास उड़ाना कतई स्वीकार्य नहीं है। यदि किसी में मध्यकालीन बर्बरता को समझने का विवेक नहीं है तो उसे इतिहास की महान वीरांगनाओं पर उंगली उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है। स्वरा भास्कर को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे कैमरों के सामने उपदेश देने से पहले इतिहास का निष्पक्ष अध्ययन करें और समझें कि 'जौहर' कोई मजबूरी या कायरता नहीं बल्कि अस्मत और धर्म की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांताओं के मुंह पर तमाचा मारने वाला सर्वोच्च बलिदान था।

इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह किसी आकस्मिक फिसलन का परिणाम नहीं है बल्कि एक निश्चित वैचारिक खेमे द्वारा चलाई जा रही निरंतर मुहिम का हिस्सा है। पिछले कुछ दशकों से यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है कि भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों को नीचा दिखाया जाए और बर्बर विदेशी आक्रांताओं के जघन्य अपराधों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाए। जब कोई जन-प्रतिनिधि या कलाकार इस तरह की बयानबाजी करता है तो वह केवल अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं कर रहा होता बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग की सांस्कृतिक चेतना पर आघात कर रहा होता है। ऐतिहासिक घटनाओं को उनके तत्कालीन कालखंड, सामाजिक परिस्थितियों और तात्कालिक संकटों से काटकर देखना बौद्धिक बेईमानी है।

मध्यकाल में जब विदेशी हमलावरों ने भारत की सीमाओं में प्रवेश किया तो उनके युद्ध का तरीका केवल दो सेनाओं के बीच का टकराव नहीं था। वह एक सम्पूर्ण सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अभियान था। ऐसे समय में जब सम्पूर्ण सैन्य शक्ति परास्त हो जाती थी और दुर्ग के भीतर केवल महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शेष रह जाते थे, तब दुश्मन का सामना करने के लिए आत्म-बलिदान ही एकमात्र ऐसा मार्ग था, जो आक्रांताओं को उनकी अंतिम विजय से वंचित करता था। आक्रांताओं का मुख्य उद्देश्य पराजित राज्य की महिलाओं को अपनी सम्पत्ति और भोग की वस्तु बनाना था। 'जौहर' के माध्यम से भारतीय नारियों ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने शरीर को तो अग्नि को समर्पित कर सकती हैं लेकिन अपनी आत्मा, धर्म और स्वाभिमान का सौदा किसी बर्बर आक्रांता से कभी नहीं करेंगी। इस परम त्याग को 'कायरता' की श्रेणी में रखना उस ऐतिहासिक सत्य का ही अपमान नहीं है बल्कि उन हजारों नारियों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का भी अनादर है। ■■■

तमिलनाडु के 52 मंदिरों में आनेवाले भक्तगण न ही अब मंदिर परिसर में फोटो खींच सकते हैं, न ही रील्स बना सकते हैं। विगत 1 सितम्बर से स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है।

तमिलनाडु

52 मंदिरों में स्मार्ट फोन पर प्रतिबंध लागू

तमिलनाडु में पहली बार सत्ता में आने वाले युवा मुख्य मंत्री सी. जोसफ विजय की सरकार ने 1 सितम्बर से राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों के परिसर में स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगा दी है। अब इन मंदिरों में भगवान के दर्शन व पूजा-अर्चना के लिए आने वाले भक्त अपने साथ कैमरे वाला स्मार्टफोन लेकर नहीं जा सकेंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि मंदिरों में फोन पर रोक लगाने का निर्णय उसका नहीं है, उसने तो बस अदालत के पुराने आदेश को लागू किया है, जिससे इन मंदिरों में आध्यात्मिक वातावरण और पवित्रता को बनाए रखा जा सके। यह प्रतिबंध मंदिरों में विराजित देवी-देवताओं और मूर्तियों की फोटो लेने और वीडियो बनाने की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। इससे मंदिरों में स्मार्टफोन लेकर जाने वाले युवा भक्तों का अब रील्स व वीडियो बनाने के बजाय भक्ति भाव पर अधिक ध्यान होगा और अन्य भक्तों व नियमित उपासकों की पूजा-भक्ति में व्यवधान भी नहीं उत्पन्न होगा। इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वारों पर विशेष काउंटर एवं लॉकर स्थापित किए गए हैं। जहां श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने कैमरे वाले स्मार्टफोन जमा करने होंगे। इसके लिए उन्हें 5 रुपए का शुल्क भी देना होगा। श्रद्धालुओं को 5 रुपए का शुल्क देकर अपना मोबाइल फोन जमा करना होगा और कर्मचारियों द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक टोकन प्राप्त करना होगा। दर्शन करके वापस आने पर टोकन दिखाने पर कर्मचारियों द्वारा मोबाइल नम्बरों की जांच के बाद फोन वापस कर दिए जाएंगे।

वेदप्रकाश पांडे

सरकार के निर्णय की पृष्ठभूमि

विदित हो कि दिसम्बर 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने यह आदेश दिया था कि तमिलनाडु के सभी मंदिरों में मोबाइल फोन पर रोक लगाई जाए ताकि उनकी पवित्रता और शुद्धता बनी रहे। इसके साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों को होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। तमिलनाडु सरकार ने उसी पुराने अदालती आदेश को लागू करने का हवाला देते हुए यह प्रतिबंध लगाया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इसका उद्देश्य दर्शनार्थियों को गर्भगृह के वीडियो क्लिप बनाने, देवी-देवताओं की अनधिकृत फोटो खींचने और सोशल मीडिया रील बनाने से रोकना है।

तमिलनाडु के धार्मिक एवं धर्मादा बंदोबस्ती मंत्री एस. रमेश ने इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 52 प्रमुख मंदिरों के भीतर स्मार्टफोन पर प्रतिबंध शांतिपूर्ण पवित्र वातावरण बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं से लिया जाने वाला 5 रुपए का शुल्क राजस्व अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि लॉकर व्यवस्था एवं काउंटरों के रख-रखाव में आने वाले परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के लिए राज्य के अन्य छोटे मंदिरों के रख-रखाव का पूरा खर्च स्वयं वहन करना मुश्किल होता है।

अतिरिक्त आय होने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि मंदिरों में ऐसे सामान्य मोबाइल फोन ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिनमें फोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है। आपात स्थिति में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए मंदिर अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से उचित व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से इस नियम के कार्यान्वयन में सहयोग करने का अनुरोध भी किया।

सरकार के लिए भले ही यह अदालत के पूर्व आदेश का अनुपालन मात्र हो, लेकिन उसकी मंशा को लेकर आम जनमानस एवं भक्तों के मन में अनेक सवाल उठने स्वाभाविक हैं। कारण यह कि असंख्य भव्य एवं प्राचीन स्थापत्यकला के उत्कृष्ट मंदिरों वाले राज्य तमिलनाडु में मंदिरों के संचालन व प्रबंधन को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने की मांग अक्सर उठती रहती है। कोयम्बटूर स्थित ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने राज्य के सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर एक अभियान भी चलाया गया था। पूर्व में तमिलनाडु के मंदिरों से प्राचीन मूर्तियों के चोरी होने, चढ़ावे में आने वाले सोने की बिक्री, मंदिरों की जमीनों की बिक्री आदि के मामले सरकारों की मंशा पर प्रश्नचिह्न तो लगाते ही हैं। इसके साथ ही हिंदू मंदिरों और सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु में सत्ता की बागडोर सम्भालने वाले राजनीतिक दलों की नीयत भी किसी से छिपी नहीं है। इसलिए सरकार की ओर से प्रमुख मंदिरों में स्मार्ट फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध का निर्णय भी लोगों को खटक रहा है।

सरकार के इस निर्णय का समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर इन मंदिरों में दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए नियमित रूप से आने वाले उपासक और मंदिर के संचालन व प्रबंधन से जुड़े पुजारी व अधिकारी मंदिरों में दर्शन-पूजन के दौरान शांति व पारम्परिक मर्यादा बहाल करने की मंशा से उठाए गए कदम का स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं, राजनीतिक दलों और आम भक्तों द्वारा स्मार्टफोन पर पूर्ण प्रतिबंध को अव्यवहारिक, गैरजरूरी और चिंता बढ़ाने वाला बताते हुए इसका विरोध किया गया है। फिलहाल, तमिलनाडु सरकार का राज्य के 52 मंदिरों में स्मार्ट फोन पर प्रतिबंध का यह निर्णय कितना कारगर साबित होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ■■■

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For A Better World
मासिक पत्रिका

शुल्क ₹ 500

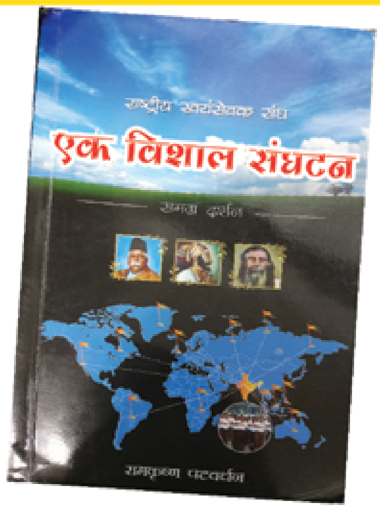

रा. स्व. संघ की स्थापना से लेकर शतकपूर्ति की यात्रा के विभिन्न पड़ावों तथा भविष्य के उद्देश्यों का सम्पूर्ण संकलन व आंकलन करने वाली पुस्तक

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ऑनलाईन पंजीयन करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : **HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA-HINDI VIVEK**

Bank : Bank of Maharashtra **Branch :** Prabhadevi
A/C No. : 60085108000 **IFSC** : MAHB0000318

सम्पर्क - 9594991884 **Email : hindivivekvargani@gmail.com**

हनुमान अंश

'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म की सफलता के पीछे बाबा नीम करौली के प्रति लोगों की गहरी आस्था के साथ-साथ उसके देसी और कर्णप्रिय गीत सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है।

गीतों में गूढ़ ज्ञान से मिल रहा सम्मान

फिल्मी दुनिया के दिग्गज आश्चर्यचकित हैं कि न तो भव्य सेट्स, न एआई, न बड़े स्पेशल इफेक्ट्स।। बड़ा तो छोड़िए, अनिल रस्तोगी के सिवा कोई जाना पहचाना चेहरा भी नहीं। चमत्कारों की कहानी तो है, लेकिन कहानी चमत्कारिक कतई नहीं। 'हनुमान अंश' ने फिल्मी दुनिया से तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 5वें वीकेंड (सप्ताहांत) में इस फिल्म ने 45.60 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इसके मुकाबले धुरंधर ने केवल 35.80 करोड़ रुपए, छावा ने 22 करोड़ रुपए, पुष्पा ने 16 करोड़ और सबसे ज्यादा चर्चित धुरंधर 2 ने तो केवल 12.75 करोड़ रुपए ही कमा पाए थे। दिग्ग्ज मान रहे हैं इसके पीछे एक बड़ा कारण तो लोगों की बाबा नीम करौरी के प्रति अगाध आस्था है। लेकिन केवल यही कारण माना जाए तो इसी साल 29 मई को एक और फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था 'श्री बाबा नींब करौरी महाराज' इसमें मिलिंद गुणाजी, राजेश शर्मा और हेमंत पांडेय जैसे जाने पहचाने चेहरे भी थे, लेकिन कहां गई कितने कमाए, जवाब ढूंढ़े नहीं मिल रहे। जानकार मानते हैं कि बाबा में आस्था के अलावा बड़ा कारण फिल्म के गीत भी थे, उनके बोलों पर तो जमकर शोध और मेहनत हुई ही, उनका देसज संगीत और गाने वाली आवाजें भी हृदय के अंदर उतर गईं।

फिल्म में 12 गाने हैं और जिनमें 3 तो जबरदस्त वायरल हो गए हैं, और ये देसी अंदाज के बुंदेलखंडी आवाज में कम्पोज हुए गाने भारतीय संस्कृति को एक सुरीले अंदाज में सामने लाते हैं और आम जनता को सीधे जोड़ देते हैं।

विष्णु शर्मा

जब जिद पर आ गईं पार्वती.. पार्वती
पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि... सप्तऋषि सप्तऋषि

आपको इस गीत में 'राधा कैसे ना जले' जैसा जुड़ाव देखने को मिलेगा और इस गीत को ठीक उस जगह रखा गया है जहां बाबा की पत्नी 15 साल बाद मिली हैं और नहीं चाहतीं कि वो वापस जाकर हनुमान भक्ति में रमें और हनुमानजी के भक्तों को तो ये फिल्म एक ऐसा देसी मधुर गीत देती है, जो आम जनता के अंदर तक घुस गया है, जिनको हनुमान चालीसा याद नहीं होता, उनके लिए भी ये रामवाण बन गया है, बोल भी आसान और संगीत भी कर्णप्रिय. बोल पढ़िए

हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान
सागर में नैया डार दई।

यानी एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हनुमान जी से ऐसे बात कर रहा है, जैसे किसी मित्र से कर रहा हो। आवाज तो बेहद ही विशेष है. दरअसल ये गीत बुंदेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों तो कभी नाव में बैठकर गाने वाले सुनील लोधी का है, फिल्म में उन्हीं से गवाया गया है। फिलहाल वो इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। ऐसे ही तीसरा गाना 'आवागमन' भी बहुत वायरल हो रहा है. जिसमें भोले शंकर से मोक्ष की बात देसी अंदाज के गीता ज्ञान से की गई है। गाने की मूल लाइन है आवागमन मिटा दो भोले शंकर। हिंदुत्व का दर्शन है कि इस जन्म मृत्यु के फेरे से निकालकर मोक्ष दे दो भगवान।

इन तीनों में से बाकी के दो गीत 'आवागमन' और 'जिद पर आ गई पार्वती' बुंदेलखंड के ही साधु सुशील तिवारी ने ही गाए और संगीतबद्ध किए हैं। उन्होंने 12 में से कुल 5 गाने तैयार किए

हैं। कई तरह की बोलियां बोलने वाले लोगों का भी आकर्षण इस फिल्म के प्रति इस कारण से बढ़ा है। बाबा किशोरावस्था में राजकोट में रहे, तो गुजरातियों पर फिल्माए गए दृश्य हैं, बाबा फर्रुखाबाद के नींव करोरी से जुड़े तो वहां के लोगों को तो उस आश्रम के कारण भी विशेष लगाव है, उत्तराखंड का कैंची धाम तो उनका सबसे चर्चित आश्रम है ही. वहीं वो ब्रज में पैदा हुए थे, सो उनके पिता की भूमिका में फर्राटेदार ब्रज भाषा बोलने वाले कलाकार को लिया गया है।

'हनुमान अंश' के सपने की नींव डॉ विशाल चर्तुवेदी ने अपनी किताब ङ्क्द डीटॉर: दैट चेंजड माई लाईफ' से जुड़े शोध के लिए 2009 में रखी थी. किताब आने के बाद उन्होंने तीन भागों में बाबा के जीवन को परदे पर उतारने की रणनीति बनाई और ये पहला भाग है, जहां बाबा के बचपन, शादी, नींब करौरी आश्रम की स्थापना से लेकर कैंची धाम के क्षेत्र में पहुंचने तक की कहानी है। इस फिल्म में उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरूआत और बचपन से ही चमत्कारों की श्रृंखला को दिखाया गया है। कोई और कलाकार बाबा की भूमिका को करने वाला था, लेकिन प्रोडक्शन में सहायक के तौर पर काम कर रहे शोभिनव सत्य पर शायद बाबा की कृपा ही थी कि उनको मिल गया और फिर इतिहास बन गया है। वो जितनी सादगी के साथ बाबा की तरह ही हास्य विनोद करते हैं, भक्तों को बाबा ही लगने लगे हैं।

फिल्म की शुरूआत एक पुराने क्रांतिकारी और बाबा के भक्त राम नंदन भोंसले (चंदन आनंद) बच्चों को बाबा की कहानी सुनाने से करते हैं कि कैसे बचपन में मां की मृत्यु से आहत होकर बालक लक्ष्मी नारायण (विहान) घर छोड़ देता है। तप के जरिए हनुमानजी को प्रसन्न कर श्रीराम से मिलना चाहता है, ताकि मां से मिल सके। ऐसे में राजकोट के एक आश्रम में महंत (अनिल रस्तोगी) से मिलना, महंत का बच्चे के अंदर सिद्धियां अनुभव करना दिलचस्प है। धीरे-धीरे आवश्यकता पड़ने पर वो बालक कई चमत्कार करता है, धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है। नींब करौरी में जब एक अंग्रेज अफसर युवा बाबा को फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेंट से उतरने को मजबूर कर देता है, तो ट्रेन भी मानो आगे बढ़ने से मना कर देती है। आखिरकार अफसर माफी मांगकर उन्हें उस जगह पर रेलवे स्टेशन बनाने का वायदा करता है। पिता का 15 साल बाद मिलना और बचपन के विवाह की याद दिलाना और फिर पत्नी से संवाद के दृश्य काफी अच्छे बन पड़े हैं। विशेषतौर पर हर बड़ी घटना से जोड़कर तैयार किया गया गीत उस दृश्य को बड़ा बना देता है। ■■■

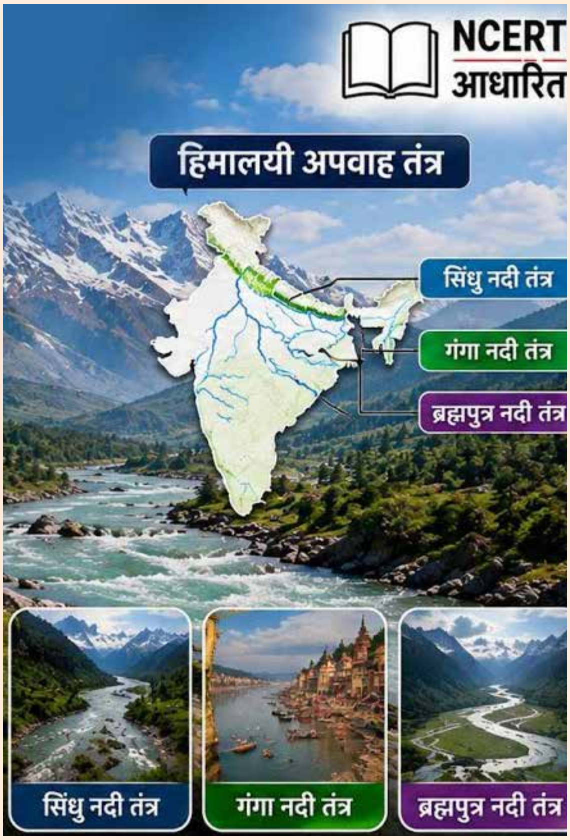

संस्कृति और ज्ञान का नया संगम

पाठ्यपुस्तक

एनसीईआरटी की सभी 22 भारतीय भाषाओं की नई पाठ्यपुस्तकों के नाम देश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखे जा रहे हैं। जिसका एकमात्र उद्धेश्य बच्चों को सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराना है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक अनोखा कदम उठाया है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं की नई पाठ्यपुस्तकों के नाम देश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखे जा रहे हैं। 6ठीं और 9वी कक्षा के लिए तैयार इन पुस्तकों में पंजाबी भाषा की पाठ्यपुस्तक का नाम 'सतलुज' और 'रावी' रखा गया है। तमिल भाषा की पुस्तकों को तमिलनाडु की प्रमुख नदियों भवानी और वैगई के नाम से जाना जाएगा। हिंदी की पाठ्यपुस्तकें अलकनंदा और रेवा के नाम पर हैं। बांग्ला भाषा की पुस्तकें भागीरथी और कालिंदी कहलाएंगी, जबकि मैथिली भाषा की पुस्तकें कमला और कौशिकी के नाम से प्रकाशित होंगी। इसी प्रकार कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, तेलुगु, ओडिया, असमिया, उर्दू, सिंधी, बोडो, कश्मीरी, डोगरी, कोंकणी, मणिपुरी, संथाली, नेपाली और संस्कृत जैसी भाषाओं की पुस्तकों के नाम भी संबंधित क्षेत्रों की नदियों-कृष्णा, गोदावरी, साबरमती, लोकतक, मांडवी, झेलम, बैतरणी, देविका, गोमती, सिंधु, नर्मदा, पंचगंगा, महानदी, तुंगभद्रा, पंबा, कपिला, तवा, चिनाब, लूनी आदि-पर आधारित हैं।

यह नामकरण त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 6ठीं से 10वीं कक्षा तक छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य हैं। नदियों के नाम रखने का उद्देश्य स्पष्ट है-नई पीढ़ी न केवल भाषाएं सीखे, बल्कि उन नदियों से भी परिचित हो जो हमारी सभ्यता, साहित्य, लोककथाओं और जीवन-धारा का आधार रही हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 197 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं। ।

यह प्रयास शिक्षा को मात्र सूचना तक सीमित रखने के बजाय अनुभव और जुड़ाव से जोड़ता है। जब छात्र 'सतलुज' या 'वैगई' नाम की पुस्तक खोलेंगे, तो वे न केवल व्याकरण और साहित्य सीखेंगे, बल्कि अपने क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर से भी जुड़ेंगे। यह एक ऐसी पहल है जो भाषाई विविधता को संरक्षित करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। नदियां अलग-अलग राज्यों से बहती हैं, पर सब मिलकर भारत को सींचती हैं। ठीक उसी प्रकार ये पाठ्यपुस्तकें विभिन्न भाषाओं के माध्यम से एक साझा सांस्कृतिक धारा का निर्माण करेंगी।

एनसीईआरटी का यह निर्णय नई शिक्षा नीति की भावना को साकार करता है-भारतीय ज्ञान परम्परा, स्थानीय संदर्भ और आधुनिक शिक्षा का सामंजस्य। आने वाली पीढ़ियां इन पुस्तकों के माध्यम से न केवल भाषाएं सीखेंगी, बल्कि यह भी समझेंगी कि हमारी नदियां और भाषाएं दोनों ही जीवंत विरासत हैं, जिन्हें संजोना हमारा दायित्व है।

साड़ी ने बचाईं 21 जान

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास अचानक आई बाढ़ और पहाड़ी से गिरते भारी पत्थरों व कीचड़ (सुनामी जैसी लहरों) के बीच चेन्नई के 21 बुजुर्ग तीर्थयात्री फंस गए थे। कीचड़ और फिसलन भरी ढलान पर जब ऊपर चढ़ना असम्भव हो गया था, तब ग्रुप की एक महिला ने अपनी साड़ी उतारकर नीचे मौजूद लोगों की तरफ लटका दी। यात्रियों ने उस साड़ी और एक केबल को कसकर पकड़ा और एक-दूसरे की सहायता करते हुए सुरक्षित ऊंचाई पर चढ़कर अपनी जान बचाई। इस भयंकर आपदा के बाद इन तीर्थयात्रियों को डेढ़ दिन तक भारी संघर्ष करना पड़ा। अंततः स्थानीय लोगों की सहायता और मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद वे काठमांडू और दिल्ली के रास्ते चेन्नई पहुंचें।

विश्व का सबसे ऊंचा श्रीकृष्ण मंदिर

भारत में भगवान श्री कृष्ण का सबसे ऊंचा मंदिर हिमाचल प्रदेश के के किन्नौर जिले में मौजूद है। किन्नौर जिले के युल्ला कांडा में समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। मंदिर के साथ एक झील भी है, जिससे जुड़ी कई स्थानीय मान्यताएं इसे विशेष बनाती हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर एक झील के बीच में स्थित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झील का निर्माण पांचों पांडवों ने अपने वनवास के दौरान किया था, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। इस युल्ला कांडा को कुछ लोग स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। इसके अलावा, युल्ला कांडा की जन्माष्टमी का उत्सव काफी प्रसिद्ध है।

जानें ध्यानलिंग क्या है

कोयम्बटूर की वेल्लियांगिरी पहाड़ियों के पास स्थित ध्यानलिंग को ऐसी जगह के तौर पर देखा जाता है, जहां पहुंचकर आपको किसी विशेष पूजा-पाठ या धार्मिक नियम का पालन नहीं करना पड़ता। मौन और ध्यान को यहां सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। 24 जून 1999 को ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने ध्यानलिंग को समर्पित किया था। काम का दबाव और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच लोगों के लिए कुछ पल भी चुपचाप बैठना मुश्किल हो जाता है। यहां पूजा, आरती या किसी तरह के कर्मकांड की व्यवस्था नहीं है। आने वाले लोगों को कुछ समय शांत बैठने और अपने भीतर ध्यान लगाने का अवसर मिलता है।

पितांबरी
देवभक्ती
अगरबत्ती
जहाँ श्रद्धा और भक्ति,
वहाँ महके
पितांबरी देवभक्ती!
Agarbatti with
Natural Ingredients
चंदन
गुलाब
मोगरा
Also available in
other fragrances.
Pitambari Products Pvt. Ltd.
Maharashtra: 8291853804, North: 7011012599, South: 9886553105,
East: 7752023380, 9867102999, CRM: 022 - 67035564 / 5699, Toll Free: 18001031299
Visit: www.pitambari.com | CIN: U52291MH1989PTC051314